न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी:–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–38/2022 दायरा दिनांक 09.03.2022

GCMS CASE NO-2023/90

रामचन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति ब्राह्मण निवासी चक 44 एसजीडब्ल्यू (गणेशगढ़) तहसील सादुलशहर

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

–रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::– दिनांक : 18.11.2024

अपीलांट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रकरण संख्या 24/2022 ब अनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में दिनांक 04.03.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर जैर अपील रकबा यथा चक 4 बीकेएसएम के पत्थर न.94/55 के किला न. 7 ता 9 की 0.759 है0, 12 ता 14 की 0.759 है0, 17 ता 19 की0.759 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल 3.036 है0 अनकमाण्ड़ रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए, अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये। यह कि अपीलांट का चक4 बीकेएसएम के पत्थर न.94/56 के किला न. 1 ता 17 का 4.301 है0रकबा पिता के नाम सेखातेदारी रकबा था जो अब अपीलांट के दो पुत्रों के नाम से संयुक्त खाता के खातेदारी है। इस रकबा से चिपता ही पत्थर न. 94/55 के उक्त रकबा को अपीलांट पिछले 30–35 वर्षो से काश्त करता आ रहा है। रकबा आवंन करवाने हेतु बाबत अपीलांट की मिसल सक्षम न्यायालय में जैरकार है। रकबा नियमन हेतु भी पत्रावली जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रकरण संख्या 24/2022 ब अनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में दिनांक 04.03.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर जैर अपील रकबा यथा चक 4 बीकेएसएम के पत्थर न.94/55 के किला न. 7 ता 9 की 0.759 है0, 12 ता 14 की 0.759 है0, 17 ता 19 की0.759 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल 3.036 है0 अनकमाण्ड़ रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए, अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये। यह कि अपीलांट का चक4 बीकेएसएम के पत्थर न.94/56 के किला न. 1 ता 17 का 4.301 है0रकबा पिता के नाम सेखातेदारी रकबा था जो अब अपीलांट के दो पुत्रों के नाम से संयुक्त खाता के खातेदारी है। इस रकबा से चिपता ही पत्थर न. 94/55 के उक्त रकबा को अपीलांट पिछले 30–35 वर्षो से काश्त करता आ रहा है। रकबा आवंन करवाने हेतु बाबत अपीलांट की मिसल सक्षम न्यायालय में जैरकार है। रकबा नियमन हेतु भी पत्रावली जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण कर फसल रबी संवत 2078 बीजांत रखी था। जैर अपील आदेश द्वारा नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है,जो विधिसम्मत है।अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया था। उक्त नोटिस अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। इसके अतिरिक्त धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिवसम्मत होने से उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18-11-24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner